रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 1974/वैशाख 10, 1896

No. 104] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 1974/VAISAKHA 10, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

RESOLUTION

New Delhi the 30th April 1974

No. F. A.11013/E/134/71-AD.IV.—In supersession of the orders contained in their Resolution No. A. 11013/E/134/71-Ad.IV, dated the 31st December, 1973, the Government of India have decided that the Central Excise (Self Removal Procedure) Review Committee will submit its report to the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) before the 30th June, 1974.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

JASJIT SINGH, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1974

सं० फा० ए० 11013/ई०/134/71-प्रशा० IV.—दिनांक 31 दिसम्बर, 1973 के संकल्प सं० ए० 11013/ई/134/71-प्रशा० IV में निहित आदेशों का अधिलंघन करते हुये भारत सरकार ने निर्णय किया है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (स्वनिर्धारण पर निकासी की कार्यविधि) समीक्षा समिति अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) को 30 जून, 1974 से पहले पेश करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी जाये तथा इसे सार्वजनिक सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

जसजीत सिंह, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974